झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची–834001

विज्ञापन

विज्ञापन संख्या – 23/2016

झारखण्ड लोक सेवा आयोग संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा– 2016

झारखण्ड सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा अधियाचित निम्नांकित राजपत्रित पदों के लिए अर्हत्ताधारी भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन (Online) विहित–प्रपत्र (आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध) में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वैसे नागरिक जो पूर्व में छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा (विज्ञापन संख्या–01/2015) के अभ्यर्थी थे उन्हें भी विहित प्रपत्र में आवेदन देना अनिवार्य होगा। इसके अलावा चतुर्थ एवं पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के दिव्यांग अभ्यर्थियों से भी विहित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

1. रिक्त पदों का विवरणः–

क्र0	सेवा का नाम/ स्वीकृत बल	कुल रिक्त पद	उदग्र आरक्षण						क्षैतिज आरक्षण				
			अनारक्षित	अ0ज0जा0		अ0जा0	पि0व0 (अनु0–I)	पि0व0 (अनु0–II)	महिला	खेल कूद	निःशक्तजन		
					आदिम जन जाति का क्षैतिज आरक्षण						दृष्टि निःशक्त	श्रवण निःशक्त	चलन निःशक्त
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	झारखण्ड प्रशासनिक सेवा	**143**	86	34	01	15	08	-	07	03	02	02	03
2.	झारखण्ड वित्त सेवा	**104**	52	30	01	11	11	-	05	02	01	02	01
3.	झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग–2	**36**	19	11	-	06	-	-	02	01	01	01	-
4.	झारखण्ड सहकारिता सेवा	**09**	03	03	-	02	01	-	-	-	-	-	-
5.	झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा सेवा	**03**	02	01	-	-	-	-	-	-	01	-	-
6.	झारखण्ड सूचना सेवा	**07**	06	-	-	01	-	-	-	-	01	-	-
7.	झारखण्ड पुलिस सेवा	**06**	03	-	-	02	-	01	-	-	-	-	-
8.	झारखण्ड योजना सेवा	**18**	09	05	-	02	01	01	01	-	01	-	-

नोटः– सेवाओं एवं पदों की संख्या घट–बढ़ सकती है।

2. **वेतनमानः—**

झारखण्ड प्रशासनिक सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड वित्त सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग–2	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड सहकारिता सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800
झारखण्ड सूचना सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800
झारखण्ड पुलिस सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 5400
झारखण्ड योजना सेवा	9300 – 34800 ग्रेड पे – 4800

3. **शैक्षणिक योग्यताः—**

ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक आवेदक को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा स्थापित संस्था/मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी संकाय में कम से कम स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।

नोटः— झारखण्ड योजना सेवा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, वाणिज्य, सांख्यिकी, गणित, भूगोल, कृषि विज्ञान अथवा सिविल इंजीनियरिंग में से किसी एक में स्नातक उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

4. **उम्र गणना की तिथिः—** संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2016 हेतु उम्मीदवारों के न्यूनतम उम्र की गणना की तिथि **01.08.2016** एवं अधिकतम उम्र की गणना **01.08.2010** के आधार पर की जाएगी।

5. **उम्र सीमाः—**

(क) अनारक्षित— अधिकतम 35 वर्ष।

(ख) अनु0जनजाति एवं अनु0जाति (पुरूष एवं महिला)— अधिकतम 40 वर्ष।

(ग) पिछड़ा वर्ग (Annexure-II)/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (Annexure-I)— अधिकतम 37 वर्ष।

(घ) महिला (अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग)— अधिकतम 38 वर्ष।

(ड.) झारखण्ड राज्य सरकार के वैसें सरकारी कर्मी जिन्होंने तीन वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर ली हो उनको अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी। निगम, बोर्ड, स्थानीय निकाय के कर्मी सरकारी सेवक के रूप में मान्य नहीं होगें एवं उन्हें उम्र सीमा में इस तरह की छूट नहीं दी जायेगी।

(च) दिव्यांग (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त) उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी।

(छ) भूतपूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 (पाँच) वर्षों की छूट दी जायेगी। ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(ज) चतुर्थ एवं पंचम संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित हुए दिव्यांग अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षा में भाग लेने हेतु उम्र सीमा को मात्र एक बार क्षांत किया जाता है। सम्मिलित होने संबंधी पंजीयन संख्या (Registration No.) प्रविष्ट करने पर वर्तमान परीक्षा में शामिल होने का एक अवसर प्रदान किया जायेगा।

नोटः—

(i) **झारखण्ड सूचना सेवा के लिए न्यूनतम उम्रसीमा 22 वर्ष निर्धारित है।**

(ii) **झारखण्ड प्रशासनिक सेवा, झारखण्ड सामाजिक सुरक्षा, झारखण्ड वित्त सेवा, झारखण्ड शिक्षा सेवा वर्ग–2, झारखण्ड सहकारिता सेवा एवं झारखण्ड योजना सेवा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष निर्धारित है।**

(iii) **झारखण्ड पुलिस सेवा के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष निर्धारित है।**

6. **कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–8315 दिनांक–16.09.2015 के अनुसार संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अवसरों की सीमा समाप्त कर दी गयी है।**

7. **आरक्षण का लाभः–**

(क) ऑनलाइन (Online) आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(ख) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को झारखण्ड राज्य के सक्षम स्तर के पदाधिकारी अर्थात् **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। **झारखण्ड राज्य के बाहर के जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी के लिए आरक्षण के लाभ हेतु किया गया दावा अनुमान्य नहीं होगा।**

(ग) झारखण्ड सरकार द्वारा लागू अद्यतन आरक्षण संबंधी नियम प्रभावी होंगे। अन्य राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के उम्मीदवारों को चाहे वे किसी भी जाति के हों, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तथा वे अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार माने जायेंगे। झारखण्ड राज्य के उम्मीदवार, जो **अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–I) तथा पिछड़ा वर्ग (अनुसूची–II)** के हैं, को आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में झारखण्ड राज्यान्तर्गत **उपायुक्त/अनुमण्डल पदाधिकारी** स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र की संख्या एवं जारी करने की तिथि का विवरण ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में देना अनिवार्य होगा **अन्यथा उनकी उम्मीदवारी अनारक्षित श्रेणी के लिए मान्य होगी।**

(घ) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण का दावा कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–1709 दिनांक 12.09.2007 द्वारा श्रेणी–II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा।

प्रतियोगिता का स्तर		**उपलब्धि**
(i)	अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii)	भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशिप स्तर की प्रतियोगिता	प्रथम स्थान
(iii)	राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता	विश्व रिकार्ड

(ड.) विभिन्न सेवाओं एवं पदों में दिव्यांग कोटे के अन्तर्गत आरक्षण के लिए ऐसे उम्मीदवार पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हों। आरक्षण के लाभ के लिए उन्हें सक्षम मेडिकल बोर्ड एवं मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित निःशक्तता प्रमाण पत्र का पूर्ण विवरण ऑनलाइन आवेदन में भरना अनिवार्य होगा। (विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर उपलब्ध है)।

8. **कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक–12165 दिनांक–31.10.2011 के आलोक में निम्नांकित प्रावधान लागू होंगेः–**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या–36012/22/93–ईस्ट (एस0सी0टी0), दिनांक–08.09.1993 तथा 36011/1/98 ईस्ट (रेंज) दिनांक–01.07.1998 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि आरक्षित वर्ग के वैसे अभ्यर्थी जिनका चयन उन मानकों के आधार पर होता है, जो सामान्य अभ्यर्थियों के लिए विहित हो उन्हें आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में जब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की तुलना में ऊपरी उम्र सीमा में छूट/रियायत प्रदान कर दी जाती है तो वे संबंधित आरक्षित वर्ग के रिक्तियों के विरूद्ध सामंजित होंगे। ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित रिक्तियों के लिए अयोग्य समझे जायेंगे।

9. **चिकित्सकीय जाँचः–** नियुक्ति हेतु उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होने की अनिवार्यता रहेगी। उन्हें सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थता के मापदण्ड के अनुरूप होना होगा। उन्हें वैसे सभी चिकित्सकीय जाँचों में उत्तीर्ण होना होगा, जो सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

10. **झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता–**

(क) अनारक्षित / पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई–165 से0मी0।

(ख) अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों की न्यूनतम लम्बाई–162 से0मी0।

(ग) अनारक्षित / पिछड़ा तथा अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई–155 से0मी0 तथा अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं की न्यूनतम लम्बाई–152 से0मी0।

(घ) सामान्य एवं पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 81 से0मी0 तथा अनुसूचित जन जाति एवं अनुसूचित जाति के पुरूष उम्मीदवारों के सीना की न्यूनतम माप बिना फुलाये 79 से0मी0 होगी। महिला उम्मीदवारों के लिए सीना का माप नहीं होगा।

11. **झारखण्ड राज्य पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय जाँच की माप परिशिष्ट–क में निर्धारित है।**

(परिशिष्ट–क)

पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु चिकित्सकीय जाँच की माप निम्न प्रकार निर्धारित की जाएगीः–

उम्मीदवारों के लिए नीचे संक्षिप्त रूप में दिये गये निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुरूप स्वस्थ होना आवश्यक होगाः–

(क) शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई रोग नहीं होना चाहिए।

(ख) उम्मीदवार के संबंध में मानसिक विकृति या दौरा पड़ने का पूर्ववृत नहीं होना चाहिए।

(ग) ह्रदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए तथा रक्तदाब सामान्य हो।

(घ) शारीरिक अपंगता न हो।

(ड.) उम्मीदवार Claw Hand से ग्रसित न हो।

(च) उम्मीदवार एच0आई0वी0 मुक्त हो।

(छ) पुरूष उम्मीदवार को दूर–दृष्टि चार्ट में प्रत्येक आँख से ऐनक सहित या ऐनक रहित 6 / 6 चाहिए।

(ज) उम्मीदवार को वर्णांधता (Colourblindness) एवं निशांधता (Nightblindness) न हो।

(झ) रूटीन ई0सी0जी0 तथा ई0ई0जी0 सामान्य सीमा में हो।

(ञ) उम्मीदवार का श्रवण क्षमता सामान्य हो।

(ट) हाईड्रोसील, बेरिकोसिल या पाईल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(ठ) चर्म का ऐसा रोग, जिससे अशक्तता अथवा विकृति होने की संभावना हो तो उससे भी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी।

12. **परीक्षा का स्वरूपः–** चयन हेतु प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा (लिखित एवं साक्षात्कार) आयोजित की जायेगी।

(A) **प्रारंभिक परीक्षा** :– प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर कोटिवार रिक्तियों की संख्या के 15 गुणा उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुनाव (Shortlisting) किया जायेगा। प्रारंभिक परीक्षा दो पत्रों की होगी जिनका पूर्णांक 200–200 (कुल चार सौ) होगा। इनके प्राप्तांक मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़ा नहीं जायेगा। दोनों पत्रों की परीक्षा ओ0एम0आर0 आधारित होगी। प्रारंभिक परीक्षा में OMR ठीक ढंग से भरना आवश्यक होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी। प्रारंभिक परीक्षा के सभी विषयों / पत्रों में अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् है :–

SYLLABUS FOR THE PRELIMINARY TEST OF COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION- 2016

The Preliminary Examination shall consist of two compulsory papers, each of 200 marks namely,

(i) **General Studies Paper-I**

(ii) **General Studies Paper-II**

Both the question papers shall be of multiple choice, objective type.

The question papers will be set both in Hindi and English. However, questions set to test the comprehension skill and knowledge of language and grammar shall be only in the concerned language, without providing Hindi or English translation thereof.

General Studies Paper-I

Total Marks:200 — **Time: 2 hours**

This paper will consist of 100 objective type questions, each of 2 marks, drawn from the subjects listed below. Candidates will have to answer all the questions.

(A) History of India: 15 Questions

1. Ancient India (5 questions)
2. Medieval India (5 questions)
3. Modern India (5 questions)

(B) Geography of India: 10 Questions

1. General Geography (3 questions)
2. Physical Geography (3 questions)
3. Economic Geography (2 questions)
4. Social & Demographic Geography (2 questions)

(C) Indian Polity and Governance: 10 Questions

1. Constitution of India (4 questions)
2. Public Administration and Good Governance (4 questions)
3. Decentralization: Panchayats & Municipalities (2 questions)

(D) Economic and Sustainable Development: 10 Questions

1. Basic features of Indian Economy (4 questions)
2. Sustainable Development and Economic issues (4 questions)
3. Economic Reforms and Globalization (2 questions)

(E) Science & Technology: 15 Questions

1. General Science (6 questions)
2. Agriculture & Technology Development (6 questions)
3. Information & Communication Technology (3 questions)

(F) Jharkhand Specific Questions (General Awareness of its History, Society, Culture & Heritage :) 10 Questions

(G) **National & International Current Events :** 15 Questions

(H) **General Questions of Miscellaneous nature, not requiring subject specialization, such as, :** 15 Questions

1. Human Rights
2. Environmental Protection, Bio-diversity & Climate Change
3. Urbanization
4. Sports
5. Disaster Management
6. Poverty and Un-employment
7. Awards
8. United Nations and other International Agencies

General Studies Paper-II

पूर्णांक : 200 — समय **:** 2 घण्टे

इस पत्र में 100 बहुवैकल्पिक/वस्तुपूरक (Objective types) प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होगा।

A. झारखण्ड का इतिहासः– 8 प्रश्न 8 X 2 = 16

(क) मुण्डा शासन व्यवस्था –(1 प्रश्न)
(ख) नागवंशी शासन व्यवस्था –(1 प्रश्न)
(ग) पड़हा पंचायत शासन व्यवस्था –(1 प्रश्न)
(घ) मांझी परगना शासन व्यवस्था –(1 प्रश्न)
(ङ) मुण्डा मानकी शासन व्यवस्था –(1 प्रश्न)
(च) ढ़ोकलो सोहोर शासन व्यवस्था –(1 प्रश्न)
(छ) जातीय पंचायत शासन व्यवस्था –(2 प्रश्न)

B. झारखण्ड आन्दोलन :– 7 प्रश्न 7 X 2 = 14

(क) झारखण्ड के सदान –(1 प्रश्न)
(ख) झारखण्ड के आदिवासी –(1 प्रश्न)
(ग) झारखण्ड के स्वतंत्रता सेनानी –(1 प्रश्न)
(घ) झारखण्ड के विभूति –(2 प्रश्न)
(ङ) झारखण्ड आन्दोलन एवं राज्य गठन –(2 प्रश्न)

C. झारखण्ड की विशिष्ट पहचान :– 5 प्रश्न 5 X 2 = 10

(क) झारखण्ड की सामाजिक स्थिति –(1 प्रश्न)
(ख) झारखण्ड की सांस्कृतिक स्थिति –(1 प्रश्न)
(ग) झारखण्ड की राजनीतिक स्थिति –(1 प्रश्न)
(घ) झारखण्ड की आर्थिक स्थिति –(1 प्रश्न)
(ङ) झारखण्ड की धार्मिक विशिष्टताएँ एवं पहचान –(1 प्रश्न)

D. झारखण्ड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृतिः– 5 प्रश्न 5 X 2 = 10

(क) लोक साहित्य –(1 प्रश्न)

(ख) पारंपरिक कला एवं लोक नृत्य —(1 प्रश्न)
(ग) लोक संगीत एवं वाद्य —(1 प्रश्न)
(घ) दर्शनीय स्थल—प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक धार्मिक एवं आधुनिक स्थल —(1 प्रश्न)
(ङ) आदिवासी—जाति—प्रजाति एवं विशेषताएँ —(1 प्रश्न)

E. झारखण्डी साहित्य और साहित्यकार 5 X 2 = 10
झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार —(5 प्रश्न)

F. झारखण्ड के प्रमुख शिक्षण संस्थान 3 X 2 = 6
प्रमुख शिक्षण संस्थान —(3 प्रश्न)

G. झारखण्ड के खेल—कुद —(5 प्रश्न) 5 X 2 = 10

H. झारखण्ड के भूमि सम्बन्धी कानून/अधिनियम :— 12 X 2 = 24
(क) छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (C.N.T.) —(5 प्रश्न)
(ख) संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (S.P.T.) —(5 प्रश्न)
(ग) अन्य राज्य परक अधिनियम —(2 प्रश्न)

I. 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास झारखण्ड का भूगोल— जंगल, नदी, पहाड़—पर्वत, खान—खनिज आदि—(10 प्रश्न) 10 X 2 = 20

J. झारखण्ड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ —(6 प्रश्न) 6 X 2 = 12

K. झारखण्ड के प्रमुख उद्योग का नाम और स्थान तथा औद्योगिक विकास —(5 प्रश्न) 5 X 2 = 10

L. झारखण्ड की प्रमुख योजनाएँ एवं उपयोजनाएँ —(5 प्रश्न) 5 X 2 = 10

M. झारखण्ड में जंगल प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य —(5 प्रश्न) 5 X 2 = 10

N. झारखण्ड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन एवं उसके अपशमन (Mitigation) एवं अनुकूलन (Adaptation) संबंधी विषय —(7 प्रश्न) 7 X 2 = 14

O. झारखण्ड में आपदा प्रबंधन —(5 प्रश्न) 5 X 2 = 10

P. झारखण्ड से संबंधित विविध तथ्यों एवं समसामयिक घटनाएं —(7 प्रश्न) 7 X 2 = 14

(B) **मुख्य परीक्षा** :— मुख्य परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के अनुरूप तीन गुणा अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। मुख्य परीक्षा 06 (छः) पत्रों की होगी जिसका कुल पूर्णांक 1050 होगा। मुख्य परीक्षा के सभी विषयों/पत्रों में अभ्यर्थियों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नवत् है :—

MAIN EXAMINATION (No optional subjects. All are common compulsory Papers)			
Subject	**Duration**	**Full Marks**	**Remarks**
Paper-I: General Hindi & General English, having two separate sections on (i) General Hindi, and (ii) General English, each of 50 marks	3 hours	100	DESCRIPTIVE TYPE This paper is qualifiying in which minimum 30 marks is mandatory
Paper-II: Language and Literature: Under this paper, every candidate will have to opt for one Language and Literature out of fifteen listed by the Commission.	3 hours	150	DESCRIPTIVE TYPE

Paper-III: Social Sciences, having two distinct sections on (i) History (ii) Geography, each of equal weightage.	3 hours	200	AS ABOVE
Paper-IV: Indian Constitution & Polity, Public Administration & Good Governance	3 hours	200	AS ABOVE
Paper-V: Indian Economy, Globalization and Sustainable Development	3 hours	200	AS ABOVE
Paper-VI: General Sciences, Environment & Technology Development	3 hours	200	AS ABOVE

These papers are common to all candidates

(C) साक्षात्कार :– मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए 100 अंकों का साक्षात्कार (Interview) आयोजित किया जायेगा।

NOTE:-The detailed syllabus of all above six papers including preliminary exam papers is separately available on JPSC's website, www.jpsc.gov.in

13. **प्रारंभिक, एवं मुख्य परीक्षा का न्यूनतम अर्हतांकः–**

अनारक्षित	40 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–I	34 प्रतिशत
पिछड़ा वर्ग–II	36.5 प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति एवं महिला वर्ग	32 प्रतिशत

न्यूनतम अर्हतांक का उपर्युक्त रूप में निर्धारण सभी सेवाओं/संवर्गो की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न आरक्षण कोटियों के लिए सभी लिखित परीक्षाओं (वस्तुनिष्ठ/विषयनिष्ठ) पर समान रूप से लागू रहेगा। **मुख्य परीक्षा के प्रथम पत्र (सामान्य हिन्दी एवं सामान्य अंग्रेजी) में सभी कोटि के उम्मीदवारों को 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।**

नोटः– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या–8315 दिनांक–16.09.2015 के आलोक में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में साक्षात्कार हेतु न्यूनतम अर्हत्तांक की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।

14. **मेधा सूची** :– उपर्युक्त राज्य सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार उपर्युक्त संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की समेकित, एकीकृत रिक्तियों को भरने के निमित्त, सम्मिलित संयुक्त (मुख्य) प्रतियोगिता परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों की विहित, किन्तु समेकित, एकीकृत मेधा सूची प्रकाशित की जायेगी ; तथा उनकी अन्तर्वीक्षा के पश्चात् अंतिम परीक्षाफल भी समेकित, एकीकृत किन्तु सेवा/संवर्गवार एवं आरक्षण कोटिवार मेधाक्रम में ही निर्गत/प्रकाशित किया जायेगा।

15. **कदाचारः– कदाचार (Misconduct) के निम्न मामलों में अभ्यर्थी के विरूद्ध कार्रवाई की जा सकती हैः–**

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false and suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise temper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

(a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
(b) Impersonating, or
(c) Procuring impersonation by any person, or
(d) Submitting fabricated documents or documents which have been tempered with, or
(e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
(f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
(g) Using unfair means during the test, or
(h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch in the script (s), or
(i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
(j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
(k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
(l) Attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
(i) To be disqualified from selection for which he/she is a candidate, and/or
(ii) To be debarred either permanently or for a specified period:-
(iii) Canvassing in any form written or otherwise effecting examination process will disqualify a candidate.

16. वैसे अभ्यर्थी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिये जाने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

17. परीक्षा शुल्कः–

(i) वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में छठी संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के लिए परीक्षा शुल्क जमा कर चुके हैं उन्हें दोबारा परीक्षा शुल्क जमा करने की आवश्यकता नहीं है परंतु इसके लिए उन्हें छठी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का Registration No. उद्धृत करना आवश्यक होगा। अपने Registration No. की जानकारी आयोग के Website पर Date of Birth, नाम एवं पिता का नाम डालकर प्राप्त की जा सकती है।

(ii) सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग अनुसूची– II एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची–I के अभ्यर्थियों के लिए चालान द्वारा State Bank of India के किसी भी शाखा के माध्यम से या Online Payment Gateway के द्वारा **600 रू0 परीक्षा शुल्क + बैंक चार्ज** एवं झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के **लिए 150 रू0 परीक्षा शुल्क + बैंक चार्ज** देय होगा। मुख्य परीक्षा के लिए अलग से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(iii) Offline Payment के लिए Generated चालान Online Application System में स्वतः उपलब्ध रहेंगे तथा भुगतान निम्न खाते में किया जा सकता है।

बैंक	–	SBI, Lalpur Branch, Ranchi
खाता संख्या	–	35150282186
शाखा कोड	–	12623
IFSC CODE	–	SBIN0012623

(iv) चालान द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने के मामले में बैंक की मोहर सहित चालान की JPSC प्रति Colour Scan करने के पश्चात वेबसाइट पर अपलोड करना आवश्यक होगा जिसके अभाव में आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(v) Online Payment Gatway के लिए Credit Card/ Debit Card/Net Banking/Cash Card/ Wallet के माध्यम से भी भुगतान किया जा सकता है।

(vi) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।

18. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश

(क) Online आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

(ख) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट **www.jpsc.gov.in** पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।

(ग) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली–भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।

(घ) **ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No. – 0651/2213009 पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह–10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।**

(ङ.) **ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के निम्नलिखित Technical Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है :–**

1. **07042294208**
2. **07042294209**
3. **07042294210**

(च) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.–**07042294212** संपर्क किया जा सकता है।

(छ) आवेदक सरकारी सेवा में होने की स्थिति में नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र की विवरणी Online Application में प्रविष्ट करेंगे।

(ज) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साईज) फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। **निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ, हस्ताक्षर एवं बांए अंगूठे का निशान नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।**

(झ) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।

(ञ) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।

(ट) जन्म तिथि– आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।

(ठ) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, उम्र संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, खेलकूद संबंधी प्रमाण पत्र ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे। आवश्यकतानुसार आयोग की सूचना पर विभिन्न प्रमाण पत्रों की स्कैन कॉपी आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा।

(ड) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।

(ढ) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(ण) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।

(त) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा

ह0/–
सचिव
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, रांची।